

# कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, गोण्डा।

पत्रांक-एस0एस0ए0/के0जी0बी0वी0/नियुक्ति/

/2020-21

दिनांक 24-3-2021

## विज्ञप्ति

महानिदेशक, स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, राज्य परियोजना कार्यालय, लखनऊ के पत्र सं0-के0जी0बी0वी0/शिक्षक/8362/2020-21 दिनांक 04.01.2021 एवं शासनादेश सं0-बे0शि0 अनुभाग-5/1553/68-5-2020 लखनऊ दिनांक 11 दिसम्बर 2020 के अनुपालन में जनपद गोण्डा में संचालित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में पूर्ण कालिक शिक्षिका, अंश कालिक शिक्षिका, मुख्य रसोईयां, सहायक रसोईयां एवं चपरासी के पदों पर नियुक्ति (संविदा आधारित) हेतु वर्णित अर्हताधारी अभ्यर्थियों से शैक्षिक सत्र 2020-21 में कार्य करने हेतु निर्धारित प्रारूप पर दिनांक 20-4-2021 तक सायं 05 बजे तक निर्धारित शर्तों के अधीन आवेदन पत्र आमन्त्रित किए जाते हैं। पंजीकृत डाक के अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा। रिक्त पदों का विवरण, आवेदन पत्रों का प्रारूप एवं दिशा-निर्देश <http://gonda.nic.in> पर भी उपलब्ध है।

पद का नाम	रिक्त पदों की आरक्षित श्रेणी			योग	विषय एवं अर्हता	प्रतिमाह मानदेय (रु0)	आयु (वर्षों में)	शैक्षिक योग्यता
	सामान्य	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति					
पूर्ण कालिक शिक्षिका	7	2	2	11	विज्ञान (जेड0बी0सी0 से प्रशिक्षित स्नातक एवं उ0प्रा0 स्तर की टी0ई0टी0)	22000-00	25-45 वर्ष	प्रशिक्षित स्नातक एवं उ0प्रा0 स्तर की टी0ई0टी0 उत्तीर्ण महिला अभ्यर्थी
	9	4	3	16	गणित (पी0सी0एम0 वर्ग से प्रशिक्षित स्नातक एवं उ0प्रा0 स्तर की टी0ई0टी0)			
	7	3	1	11	अंग्रेजी (अंग्रेजी से प्रशिक्षित स्नातक एवं उ0प्रा0 स्तर की टी0ई0टी0)			
	23	9	6	38	योग			
अंश कालिक शिक्षिका	4	1	0	5	कला काफ्ट एवं संगीत/गृह शिल्प (स्नातक उपाधि सहित प्रशिक्षण उपाधि)	9800-00	25-45 वर्ष	प्रशिक्षित स्नातक एवं उच्चप्रा0 स्तर की टी0ई0टी0 उत्तीर्ण
	5	5	3	13	कम्प्यूटर (प्रशिक्षित स्नातक)			
	3	3	0	6	स्काउट गाइड एवं शारीरिक शिक्षा (बी0पी0एड0, सी0पी0एड0 एवं डी0पी0एड0 आदि उपाधि)			प्रशिक्षित स्नातक
	12	9	3	24	योग			



ऊर्दू शिक्षक/शिक्षिका	1	1	1	3	ऊर्दू (बी0ए0 ऊर्दू विषय से तथा एल0टी0 या0 बी0टी0 या बी0एड0 या अन्य समकक्ष शिक्षा अथवा शिक्षण में डिग्री या डिप्लोमा)	13200-00	25-45 वर्ष	प्रशिक्षित स्नातक
योग	1	1	1	3				
पूर्ण कालिक लेखाकार (स्नातक वाणिज्य, एम0एस0 आफिस पर कार्य का ज्ञान अनिवार्य, डी0ओ0ई0ए0सी0 या समकक्ष संस्था से ओ लेवल कम्प्यूटर शिक्षा में डिप्लोमा)	0	1	1	2	लेखाकार (स्नातक वाणिज्य)	11000-00	25-45 वर्ष	स्नातक वाणिज्य, एम0एस0 आफिस पर कार्य का ज्ञान अनिवार्य, डी0ओ0ई0ए0सी0 या समकक्ष संस्था से ओ लेवल कम्प्यूटर शिक्षा में डिप्लोमा
मुख्य रसोईयां (कक्षा-8)	1	0	0	1	कक्षा-8	6900-00	25-45 वर्ष	कक्षा-8 केवल महिला अभ्यर्थी (पाक कला में ज्ञान निपुण)
सहायक रसोईयां (कक्षा-8)	4	0	0	4	कक्षा-8	5175-00	25-45 वर्ष	कक्षा-8 केवल महिला अभ्यर्थी (पाक कला में ज्ञान निपुण)
चपरासी	1	0	1	2	-	5750	25-45 वर्ष	कक्षा-8
योग	6	1	2	9	-	-	-	-
कुल योग	42	20	12	74	-	-	-	-

#### नियम व शर्तें:-

- रिक्त पदों की संख्या घट-बढ़ सकती है।
- विज्ञान हेतु जे0बी0सी0 एवं गणित विषय हेतु पी0सी0एम0 ग्रुप के अभ्यर्थी का चयन किया जायेगा।
- कम्प्यूटर शिक्षक के लिए प्रशिक्षित स्नातक होगा अनिवार्य होगा। प्रशिक्षण उपाधि के अन्तर्गत एन0सी0टी0ई0 से मान्य बी0एड0/एल0टी0 समकक्ष इत्यादि प्रशिक्षण सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त कम्प्यूटर शिक्षण हेतु पी0जी0डी0सी0ए0/बी0सी0ए0/बी0एस0सी0 कम्प्यूटर साइंस अथवा स्नातक सहित डी0ओ0ई0ए0सी0सी0 या समकक्ष संस्था से ओ लेवल/ए लेवल डिप्लोमा आदि शैक्षिक योग्यता अनिवार्य है।
- कला क्राफ्ट एवं संगीत आदि विषयों के लिए शैक्षिक योग्यता स्नातक उपाधि सहित प्रशिक्षण उपाधि होगी तथा गृह शिल्प के लिए शिक्षक/शिक्षिका का पद कला क्राफ्ट एवं संगीत के पद के अन्तर्गत ही माना जाएगा।
- पूर्ण कालिक शिक्षिका, मुख्य रसोईयां एवं सहायक रसोईयां पद केवल महिला अभ्यर्थी का ही चयन किया जायेगा।
- मुख्य/सहायक रसोईयां पद हेतु शैक्षिक योग्यता कक्षा-8 उत्तीर्ण होगी तथा शारीरिक अक्षमता एवं संक्रामक रोग से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। सहायक रसोईयां पद पद पूर्ण कालिक है, इनके लिए महिला होना एवं विद्यालय में निवास करना अनिवार्य होगा।
- दिनांक 01.04.2021 को न्यूनतम आयु 25 वर्ष तथा अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक न हों।
- राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रविधान के अनुसार आरक्षण जनपद स्तर पर देय होगा।



आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों एवं के0जी0बी0वी0 में वर्ष 2020-21 में संविदा से वंचित हो रहे शिक्षक/शिक्षिकाओं को नियमानुसार आयु में छूट दी जायेगी।

10. कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के ऐसे शिक्षक/शिक्षिका जो शैक्षिक सत्र 2020-21 में नवीन संविदा से वंचित हो गये हैं उनके द्वारा आवेदन करने पर उन्हें कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में की गयी सेवा अवधि के प्रत्येक सम्पूर्ण शैक्षिक वर्ष के लिए 02 प्रतिशत अतिरिक्त भारांक दिया जायेगा। अधिकतम् भारांक 30 अंक से अधिक देय नहीं होगा। इसके लिए सम्बन्धित जनपद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। उन्हें चयन हेतु शैक्षिक अर्हता में शासनादेश सं0- के0जी0बी0वी0/2-3/1916/2020-21 दिनांक 29.07.2013 के पूर्व कार्यरत शिक्षकों के लिए टी0ई0टी0 की अर्हता अनिवार्य नहीं होगी।
11. भरे हुए आवेदन पत्र समस्त स्वप्रमाणित संलग्नकों की छायाप्रति सहित पंजीकृत डाक से कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, गोण्डा में दिनांक 28.07.2021 की सायं 05 बजे तक ही स्वीकार किये जाएंगे। निर्धारित तिथि एवं समय के बादप्राप्त आवेदन पत्र मान्य नहीं होगा।
12. आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप सहित समस्त आवश्यक जानकारियां <http://gonda.nic.in> पर भी उपलब्ध है विज्ञापन एवं आवेदन पत्र का प्रारूप जिलाधिकारी कार्यालय, मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय, प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय, उप जिलाधिकारी कार्यालय तथा समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय जनपद गोण्डा के सूचना पट्ट पर चस्पा है।
13. आवेदक आवेदन पत्र के साथ पंजीकृत 42-42 रुपये के डाक टिकट लगे हुए 02 लिफाफे जिस पर अभ्यर्थी का नाम, पता व पिन कोड स्पष्ट लिखा हो संलग्न करना अनिवार्य होगा।
14. उक्त सभी नियुक्तियां माननीय उच्च न्यायालय योजित रिट याचिकाओं के निर्णय के अधीन होगी।
15. उपरोक्त विज्ञप्ति को किसी भी समय यथावश्यकता निरस्त करने का अधिकार समिति का होगा, जिसपर कोई भी दावा स्वीकार नहीं होगा।

संलग्नक:-आवेदन पत्र का प्रारूप।

(विनय मोहन वन)  
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी  
गोण्डा

पृ0स0 : के0जी0बी0वी0/14212-22 /2020-21 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


1. राज्य परियोजना निदेशक (स0शि0अ0) विद्याभवन, निशातगंज, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी महोदय, गोण्डा।
3. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, गोण्डा।
4. उप शिक्षा निदेशक/प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, गोण्डा से अनुरोध है कि प्रकाशित विज्ञप्ति को ब्लाक मुख्यालय पर चस्पा करवाने का कष्ट करें।
5. उप जिलाधिकारी, गोण्डा से अनुरोध है कि प्रकाशित विज्ञप्ति को ब्लाक मुख्यालय पर चस्पा करवाने का कष्ट करें।
6. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) देवीपाटन मण्डल, गोण्डा।
7. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, गोण्डा से अनुरोध है कि प्रकाशित विज्ञप्ति को ब्लाक मुख्यालय पर चस्पा करवाने का कष्ट करें।
8. समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी, गोण्डा को इस निर्देश के साथ कि प्रकाशित विज्ञप्ति को अपने ब्लाक संसाधन केन्द्र पर चस्पा करायें।
9. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, गोण्डा को इस अनुरोध के साथ कि उक्त विज्ञप्ति को <http://gonda.nic.in> पर अपलोड करने का कष्ट करें।
10. सम्पादक दि-दु-स्तात्र संव-दैनिक जागरूक को इस आशय से प्रेषित की दिनांक 25-3-21 के अंक में उक्त विज्ञप्ति को पठनीय व न्यूनतम राजकीय दरों पर प्रकाशित करने का कष्ट करें।
11. कार्यालय प्रति।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी  
गोण्डा।

**जनपद गोण्डा के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में संविदा पर चयन हेतु आवेदन पत्र**

**वर्ष 2020-21**

1. आवेदित पद का नाम.....विषय का नाम.....
2. अभ्यर्थी/अभ्यर्थियों का नाम-(अंग्रेजी के बड़े अक्षर में).....  
(हिन्दी में).....
3. जन्मतिथि.....आयु 01.04.2021 को आयु.....वर्ष.....माह.....दिन.....
4. पिता/पति का नाम .....
5. आरक्षित श्रेणी (सामान्य/अन्य पिछड़ा जाति/अनुजाति/अनुजनजाति).....
6. पत्राचार का पता.....पिन कोड.....  
दूरभाष.....
7. स्थाई पता.....पिन कोड.....  
दूरभाष.....ई-मेल.....
8. आधार कार्ड सं०.....
9. शैक्षिक योग्यता.....



क्र०सं०	परीक्षा का नाम	बोर्ड/वि०वि० का नाम	वर्ष	विषय	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत
1	कक्षा-8						
2	हाई स्कूल						
3	इण्टरमीडिएट						
4	स्नातक						
5	प्रशिक्षित स्नातक						
6	टी०ई०टी० (जूनियर स्तर)						
7	भारंका (के०जी०बी०वी० में शिक्षक के रूप में कार्यरत अनुभव)						
	योग						

10. अनुभव यदि कोई हो तो प्रमाण पत्र संलग्न करें तथा विवरण दें।

**घोषणा**

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने विज्ञप्ति में अंकित की गई पात्रता की शर्तें सावधानी पूर्वक पढ़ी हैं वह मुझे मान्य है। उक्त समस्त शर्तें मैं पूरी करता/करती हूँ। इस आवेदन में दिये गये समस्त विवरण/सूचनाएं सत्य एवं सही हैं और मेरे द्वारा उल्लिखित सभी तथ्यों/विवरणों/सूचनाओं में कोई तथ्य छिपाया नहीं है। कोई भी तथ्य विवरण/सूचना असत्य अथवा गलम पाये जाने अथवा मेरे द्वारा छिपाये जाने पर मेरा आवेदन निरस्त कर दिया जाए। यदि संविदा के आधार पर मेरा चयन हो जाने के उपरान्त ऐसे स्थिति प्रकाश में आयें तो मेरा अभ्यर्थन समाप्त कर दिया जाये। मेरा कार्य अंसोतषजनक पाये जाने पर यदि मेरे संविदा चयन को मध्य सत्र में निरस्त कर दिया जाता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी और इससे सम्बन्धित किसी भी न्यायालय में वाद आदि दायर करता/करूंगी। संविदा अनुबन्ध भरे जाने के उपरान्त बीच सत्र में कार्य छोड़ने पर मैं एक माह का पारिश्रमिक मानदेय कार्यालय में जमा कर दूंगा/दूँगी।

**संलग्नक:-**

दिनांक व स्थान .....

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(पूरा नाम पता सहित)